

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. 1219
TO BE ANSWERED ON 28.07.2025**

BENEFITS TO EPS 95 PENSIONERS

**†1219. SHRI BAJRANG MANOHAR SONWANE:
SHRI ARVIND GANPAT SAWANT:**

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) whether the Hon'ble Supreme Court has passed orders to provide minimum pension benefit of higher pension and medical facilities on actual salary alongwith relief in dearness allowance to the pensioners and their dependents getting pensions under EPS 95;**
- (b) if so, the details thereof alongwith the action taken by the Government thereupon;**
- (c) whether the Government has issued any order regarding implementation of the said order;**
- (d) if so, the details thereof along with the total number of the EPS 95 pensioners benefitted from the said order; and**
- (e) if not, the reasons for non-implementation of the orders of the Hon'ble Supreme Court?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a) to (e): Hon'ble Supreme Court has not passed any order to provide minimum pension benefit of higher pension on actual salary, medical facilities along with relief in dearness allowance to the pensioners and their dependents getting pensions under EPS 95.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1219
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को लाभ

1219. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत के साथ-साथ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का न्यूनतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निदेश जारी किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त आदेश से लाभान्वित ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत प्रदान करने सहित वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन का न्यूनतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।
